न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–245/2023

राजकेश्वर प्रसाद.....वादी

बनाम

जग्रनाथ यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
26.02.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 06.02.2025 को मन मुदालह के विरूद्ध पारित एकपक्षीय आदेश को वापस लेते हुए मन मुदालह के ब्यान तहरीरी को स्वीकार करने हेतु दाखिल किया गया, जो आज दिनांक 26.02.2026 को आदेश हेतु नियत है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0– 01 ता 04 वो 08 ता 11 शक्ति पत्र के साथ दिनांक 28.08.2024 को न्यायालय में उपस्थित हुए तथा शेष मुदालह अपने जिवीकोपार्जन हेतु दूसरे राज्य में होने के कारण उपस्थीित नहीं हो सकें। पूर्व में उपस्थित मुदालह द्वारा जब मन मुदालहम को इस वाद की जानकारी दी गई तब मन मुदालह 19.12.2024 को अपने ब्यान तहरीरी के साथ प्रस्तुत वाद में हाजिर हुए। प्रस्तुत वाद में मन मुदालह को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था और न ही किसी भी माध्यम से उनको इस वाद की जानकारी ही थी, जब मन मुदालह को इस वाद की जानकारी हुई तब मन मुदालह बिना विलम्ब किये अपने ब्यान तहरीरी के साथ इस वाद में उपस्थित हुए। मन मुदालह ने जानबूझकर विलम्ब नहीं किया है बल्कि वाद की जानकारी नहीं होने के कारण विलम्ब हुआ है। ऐसी परिस्थिति में मन मुदालह के विरूद्ध पारित एकपक्षीय आदेश को वापस लेते हुए मन मुदालह के ब्यान तहरीरी को स्वीकार करने की कृपा किया जाए। वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–245/2023</u>

राजकेश्वर प्रसाद.....वादी

बनाम

जग्रनाथ यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 26.02.2026	अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है प्रतिवादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 06.02.2025 को दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया कि मन मुदालह के विरूद्ध पारित एकपक्षीय आदेश को वापस लेते हुए मन मुदालह के ब्यान तहरीरी को स्वीकार करने की कृपा किया जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी भी वाद का निष्पादन उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए, जिससे वाद का निष्पादन प्रभावी ढंग से किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। अतः न्यायहित में एकपक्षीय आदेश दिनांक 14.08.2024 को वापस लेते हुए प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 06.02.2025 को मो0– 200/– रू0 के हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक 28.04.2026 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	